

## कार्यालय

**मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता  
बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल (म.प्र.)**

E-Mail:- [deanshahdola@gmail.com](mailto:deanshahdola@gmail.com)

Website:- [WWW.GMCSHAHDOL.ORG](http://WWW.GMCSHAHDOL.ORG)

**क्रमांक/स्था.अराज/शा.चि.म.वि./2024/1४९५**

**शहडोल, दिनांक १३/०३/२०२४**

### !! आदेश !!

“मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल द्वारा समूह-4 के अंतर्गत सहायक घेड-3, स्टेनोटायपिस्ट, शीघ्रलेखक व अन्य पदों की सीधी भर्ती व सीधी भर्ती-बैकलॉग हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा- 2023 के पत्र क्रमांक/02/72/2022/08/प-2/1051/2024, भोपाल दिनांक 27.02.2024 द्वारा प्राप्त मेरिट सूची के आधार पर की गई स्कूटनी पश्चात विभागीय स्कूटनी समिति की अनुशंसा अनुसार निम्नलिखित उम्मीदवार का चयन सहायक घेड-3 के रिक्त पद के विरुद्ध वेतनमान रूपये-5200-20200+1900 के तत्स्थानी पुनरीक्षित सातवें वेतन के लेवल-4 में व्यूनतम वेतन रूपये-19500/- प्रतिमाह तथा शासन द्वारा समय-समय पर देय महंगाई भत्ते के साथ एवं निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थाई नियुक्ति प्रदान कर बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल (म.प्र.) में पदस्थ किया जाता है:-

#### पद का नाम-सहायक घेड-3 (सीधी भर्ती)

स. क्र.	उम्मीदवार का नाम एवं पिता/पति का नाम	पता	चयनित श्रेणी (संवर्ग)
1.	विनोद यादव पिता- श्री हरिन्द्र यादव	म.नं. 25-26, बरखेडी कलां आरछल मेमोरियल कॉलेज के पास भद्रभदा रोड, झुजुर भोपाल जिला-भोपाल (म.प्र.)	अन्य पिछड़ा वर्ग

#### नियुक्ति की शर्तेः-

- 1 आदेश जारी होने के दिनांक से 07 दिवस के अंदर मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल में स्वयं उपस्थित होकर प्रतिवेदन (कार्यभार ग्रहण) करना अनिवार्य होगा। अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।
- 2 उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ आवश्यक प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां एवं एक-एक छायाप्रति (स्वयं सत्यापित) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 3 नियुक्त व्यक्ति के संबंध में प्रस्तुत प्रमाण-पत्र या कोई भी अभिलेख असत्य पाये जाने की दशा में नियुक्ति निरस्त की जावेगी।
- 4 स्वयं के व्यय पर स्वशासी संस्था द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल बोर्ड से फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त कर उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 5 म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी. 3-13/2019/3/एक भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2019 के अनुसार नियमित पद पर 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जावेगा। परिवीक्षा अवधि में पद के वेतनमान का व्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि, स्टायरेंड के रूप में देय होगी।
- 6 आपकी सेवायें किसी भी समय एक पक्ष द्वारा 01 माह का नोटिस देकर या उसके एवज में 01 माह का अग्रिम वेतन तथा भत्ता देकर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह तक का नोटिस देकर या पूर्वानुमति उपरांत 01 माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अंतर्गत 01 माह के वेतन तथा भत्ते के बराबर की राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व के बकाया कि भाँति वसूली योग्य होगी।
- 7 इस नियुक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग तथा महिला के पदों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है।
- 8 नियुक्त व्यक्ति म0प्र0 सिविल सेवा आचरण नियम 1965 एवं म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय गैर-शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम, 2018” के अधीन शासित होंगे।
- 9 संबंधित का कार्य एवं व्यवहार उचित न पाये जाने पर तथा हड्डताल आदि में भाग लेने पर सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।

- 10 नियुक्त व्यक्ति को रु. 50/- के स्टार्गप में उपस्थित प्रतिचेदन के साथ इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही है यदि जानकारी गलत पाई जाती है तो पूर्ण जवाबदारी स्वयं की होगी।
- 11 चयनित पत्पाशी की नियुक्ति पुलिस वेरीफिकेशन की प्रत्याशा में की जाती है, यदि भविष्य में पुलिस वेरीफिकेशन के पश्चात् प्रतिकूल तथ्य प्राप्त होने पर सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
- 12 आपकी नियुक्ति इस संस्था की सेवा शर्तों के अधीन है। संस्था अपनी सेवा शर्तों में आंशिक सुधार एवं परिवर्तन कर सकती है तथा आपकी सेवायें संस्था की किसी भी विभाग में ली जा सकती है।
- 13 पूर्व से अन्यत्र शासकीय/अर्धशासकीय संस्थान में सेवारत् न होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 14 नियुक्त उम्मीदवारों को परिवीक्षा अवधि में अन्यत्र आवेदन करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र देय नहीं होगा।
- 15 किसी भी राजनैतिक एवं विवादित गतिविधि में भाग नहीं लेंगे, यदि यह पाया जाता है कि आप किसी विवादित अथवा किसी भी अवधित गतिविधि में लिप्त हैं तब अधिष्ठाता को आपकी नियुक्ति निरस्त करने का अधिकार होगा। जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- 16 सक्षम अधिकारी के पूर्व स्वीकृति के बिना आप अवकाश पर नहीं जा सकेंगे।
- 17 म.प्र. शासन गृह विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3597/2009/दो/सी-1 दिनांक 26.12.2010 द्वारा प्रदेश के सभी अस्पतालों तथा प्रदेश के सभी स्तरों के समस्त शासकीय चिकित्सालयों/औषधालयों/स्वास्थ्य केन्द्रों/स्वास्थ्य शिक्षा संस्थानों से संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं को अत्यावश्यक घोषित किया गया है। अतः इनसे जुड़ा कोई भी अमला अपनी सेवायें देने से इंकार नहीं कर सकता। यदि कोई सेवक अत्यावश्यक सेवा को करने से इंकार करता है तो उसके विरुद्ध म0प्र0 अत्यावश्यक सेवा संधारण एवं विच्छिन्नता निवारण (एस्मा) अधिनियम 1979 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी।
- 18 चयनित अभ्यार्थियों को पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय, नहीं होगा।
- नोट :- प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति में म0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (संशोधन सहित) तथा महिलाओं के लिये आरक्षण प्रावधानों का पालन किया गया है।

—  
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता  
बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय  
शहडोल (म.प्र.)

शहडोल, दिनांक १३/१३/२०२४

पृ.क्रमांक/स्था.अराज/शा.चि.म.वि./2024/...।८९५-१९०३

प्रतिलिपि :- की ओर वास्ते सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

- 1 अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल म0प्र0।
- 2 आयुक्त चिकित्सा शिक्षा भोपाल म0प्र0।
- 3 संचालक, चिकित्सा शिक्षा, सतपुड़ा भवन भोपाल म.प्र.।
- 4 आयुक्त, शहडोल संभाग शहडोल एवं अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति, बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल म0प्र0।
- 5 कलेक्टर जिला शहडोल म.प्र.।
- 6 महालेखाकर, ग्वालियर म.प्र.।
- 7 संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल म.प्र.।
- 8 स्थानीय लेखा-शाखा, बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल म0प्र0।
- 9 संबंधित ..... की ओर भेज कर लेख है कि, कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व रु04/ ट्रेजरी चालान हेड- 0210-01-800 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा कर उसकी प्रति अपने उपस्थिति पत्रक के साथ प्रस्तुत करना होगा। सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

—  
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता  
बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय  
शहडोल (म.प्र.)

## कार्यालय

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता

बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल (म.प्र.)

E-Mail:- deanshahid@gmail.com

Website:- [WWW.GMCSTHAHDOL.ORG](http://WWW.GMCSTHAHDOL.ORG)

क्रमांक/स्था.अराज/शा.चि.म.वि./2024/।.४७५

शहडोल, दिनांक १३/१३/२०२४

### !! आदेश !!

“मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल द्वारा समूह-4 के अंतर्गत सहायक घेड-3, स्टेनोटायपिस्ट, शीघ्रलेखक व अन्य पदों की सीधी भर्ती व सीधी भर्ती-बैकलॉग हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा- 2023 के पत्र क्रमांक/02/72/2022/08/प-2/1051/2024, भोपाल दिनांक 27.02.2024 द्वारा प्राप्त मेरिट सूची के आधार पर की गई स्कूलनी पश्चात विभागीय स्कूलनी समिति की अनुशंसा अनुसार निम्नलिखित उम्मीदवार का चयन सहायक घेड-3 के रिक्त घट के विरुद्ध वेतनमान रूपये-5200-20200+1900 के तत्वानी पुनरीक्षित सातवें वेतन के लेवल-4 में व्यूनतम वेतन रूपये-19500/- प्रतिमाह तथा शासन द्वारा समय-समय पर देय महंगाई भत्ते के साथ एवं निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थाई नियुक्ति प्रदान कर बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल (म.प्र.) में पदस्थ किया जाता है:-

#### पद का नाम-सहायक घेड-3 (सीधी भर्ती)

स. क्र.	उम्मीदवार का नाम एवं पिता/पति का नाम	पता	चयनित श्रेणी (संवर्ग)
1.	अरुण कुमार चौधरी पिता- श्री प्रेमदा चौधरी	वार्ड नं. 13, बीमा ग्राम बदरा, थाना भालूमाडा, कोतमा, जिला-अनूपपुर (म.प्र.)	अनुसूचित जाति वर्ग

#### नियुक्ति की शर्तेः-

- आदेश जारी होने के दिनांक से 07 दिवस के अंदर मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल में स्वयं उपस्थित होकर प्रतिवेदन (कार्यभार ग्रहण) करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वरूप निरस्त माना जायेगा।
- उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ आवश्यक प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां एवं एक-एक छायाप्रति (स्वयं सत्यापित) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- नियुक्त व्यक्ति के संबंध में प्रस्तुत प्रमाण-पत्र या कोई भी अभिलेख असत्य पाये जाने की दशा में नियुक्ति निरस्त की जावेगी।
- स्वयं के व्यय पर स्वशासी संस्था द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल बोर्ड से फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त कर उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी. 3-13/2019/3/एक भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2019 के अनुसार नियमित पद पर 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जावेगा। परिवीक्षा अवधि में पद के वेतनमान के व्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि, स्टायर्पेंड के रूप में देय होगी।
- आपकी सेवाये किसी भी समय एक पक्ष द्वारा 01 माह का नोटिस देकर या उसके एवज में 01 माह का अग्रिम वेतन तथा भत्ता देकर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह तक का नोटिस देकर या पूर्वानुमति उपरांत 01 माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अंतर्गत 01 माह के वेतन तथा भत्ते के बराबर की राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व के बकाया कि भाँति वसूली योग्य होगी।
- इस नियुक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा महिला के पदों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है।
- नियुक्त व्यक्ति म०प्र० सिविल सेवा आचरण नियम 1965 एवं म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय गैर-शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम, 2018” के अधीन शासित होंगे।
- संबंधित का कार्य एवं व्यवहार उचित न पाये जाने पर तथा हड़ताल आदि में भाग लेने पर सेवाये समाप्त की जा सकेंगी।

- 10 नियुक्त व्यक्ति को रु. 50/- के स्थान में उपस्थित प्रतिवेदन के साथ इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही है यदि जानकारी गलत पाई जाती है तो पूर्ण जवाबदारी स्वयं की होगी।
- 11 चयनित प्रत्याशी की नियुक्ति पुलिस वेरीफिकेशन की प्रत्याशा में की जाती है, यदि भविष्य में पुलिस वेरीफिकेशन के पश्चात् प्रतिकूल तथ्य प्राप्त होने पर सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
- 12 आपकी नियुक्ति इस संस्था की सेवा शर्तों के अधीन है। संस्था अपनी सेवा शर्तों में आंशिक सुधार एंव परिवर्तन कर सकती है तथा आपकी सेवायें संस्था की किसी भी विभाग में ली जा सकती है।
- 13 पूर्व से अन्यत्र शासकीय/अर्धशासकीय संस्थान में सेवारत नियुक्त व्यक्ति को उपस्थिति के समय-पूर्व नियोक्ता द्वारा स्वीकृति त्याग पत्र अथवा सेवारत न होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 14 नियुक्त उम्मीदवारों को परिवीक्षा अवधि में अन्यत्र आवेदन करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र देय नहीं होगा।
- 15 किसी भी राजनैतिक एंव विवादित गतिविधि में भाग नहीं लेंगे, यदि यह पाया जाता है कि आप किसी विवादित अथवा किसी भी अवधित गतिविधि में लिप्त हैं तब अधिष्ठाता को आपकी नियुक्ति निरस्त करने का अधिकार होगा। जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- 16 सक्षम अधिकारी के पूर्व स्वीकृति के बिना आप अवकाश पर नहीं जा सकेंगे।
- 17 म.प्र. शासन गृह विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3597/2009/दो/सी-1 दिनांक 26.12.2010 द्वारा प्रदेश के सभी अस्पतालों तथा प्रदेश के सभी स्तरों के समस्त शासकीय चिकित्सालयों/औषधालयों/स्वास्थ्य केन्द्रों/स्वास्थ्य शिक्षा संस्थानों से संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं को अत्यावश्यक घोषित किया गया है। अतः इनसे जुड़ा कोई भी अमला अपनी सेवायें देने से इंकार नहीं कर सकता। यदि कोई सेवक अत्यावश्यक सेवा को करने से इंकार करता है तो उसके विरुद्ध म0प्र0 अत्यावश्यक सेवा संधारण एंव विच्छिन्नता निवारण (एस्मा) अधिनियम 1979 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी।
- 18 चयनित अभ्यार्थियों को पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- नोट :-** प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति में म0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एंव अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (संशोधन सहित) तथा महिलाओं के लिये आरक्षण प्रावधानों का पालन किया गया है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एंव अधिष्ठाता  
बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय  
शहडोल (म.प्र.)

शहडोल, दिनांक 13.1.2024

पृ.क्रमांक/स्था.अराज/शा.चि.म.वि./2024/...!१२३५-१८९३

प्रतिलिपि :- की ओर वास्ते सूचनार्थ एंव पालनार्थ।

- 1 अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल म0प्र0।
- 2 आयुक्त चिकित्सा शिक्षा भोपाल म0प्र0।
- 3 संचालक, चिकित्सा शिक्षा, सतपुड़ा भवन भोपाल म.प्र।
- 4 आयुक्त, शहडोल संभाग शहडोल एंव अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति, बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल म0प्र0।
- 5 कलेक्टर जिला शहडोल म.प्र।
- 6 महालेखाकर, ग्वालियर म.प्र।
- 7 संयुक्त संचालक एंव अधीक्षक बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल म.प्र।
- 8 स्थानीय लेखा-शाखा, बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल म0प्र0।
- 9 संबंधित ..... की ओर भेज कर लेख है कि, कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व रु04/ ट्रेजरी चालान हेड- 0210-01-800 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा कर उसकी प्रति अपने उपस्थिति पत्रक के साथ प्रस्तुत करना होगा। सूचनार्थ एंव पालनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एंव अधिष्ठाता  
बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय  
शहडोल (म.प्र.)



## कार्यालय

**मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता  
बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल (म.प्र.)**

E-Mail:- [deanshahdol@gmail.com](mailto:deanshahdol@gmail.com)

Website:- [WWW.GMCSSHAHDOL.ORG](http://WWW.GMCSSHAHDOL.ORG)

क्रमांक/स्था.अराज/शा.चि.म.वि./2024/..J.9.3.4

शहडोल, दिनांक १३./०३/२०२४

### !! आदेश !!

“मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल द्वारा समूह-4 के अंतर्गत सहायक ग्रेड-3, स्टेनोटाइपिस्ट, शीघ्रलेखक व अन्य पदों की सीधी भर्ती व सीधी भर्ती-बैकलॉग हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा- 2023 के पत्र क्रमांक/02/72/2022/08/प-2/1051/2024, भोपाल दिनांक 27.02.2024 द्वारा प्राप्त मेरिट सूची के आधार पर की गई स्कूटनी पश्चात विभागीय स्कूटनी समिति की अनुशंसा अनुसार निम्नलिखित उम्मीदवार का चयन स्टेनोटाइपिस्ट के रिक्त पद के विरुद्ध वेतनमान रूपये-5200-20200+1900 के तत्वानी पुनरीक्षित सातवें वेतन के लेवल-4 में व्यूनतम वेतन रूपये-19500/- प्रतिमाह तथा शासन द्वारा समय-समय पर देय महंगाई भत्ते के साथ एवं निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थाई नियुक्ति प्रदान कर बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल (म.प्र.) में पदस्थ किया जाता है :-

#### पद का नाम-स्टेनोटाइपिस्ट (सीधी भर्ती)

स.क्र.	उम्मीदवार का नाम एवं पिता/पति का नाम	पता	चयनित श्रेणी (संवर्ग)
1.	विक्रम सिंह राजपूत पिता- श्री माधव सिंह राजपूत	02 ग्राम भगुवापुरा तहसील सेवडा जिला-दतिया (म.प्र.)	अन्य पिछड़ा वर्ग ओपन

#### नियुक्ति की शर्तेः-

- आदेश जारी होने के दिनांक से 07 दिवस के अंदर मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल में स्वयं उपस्थित होकर प्रतिवेदन (कार्यभार ग्रहण) करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।
- उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ आवश्यक प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां एवं एक-एक छायाप्रति (स्वयं सत्यापित) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- नियुक्त व्यक्ति के संबंध में प्रस्तुत प्रमाण-पत्र या कोई भी अभिलेख असत्य पाये जाने की दशा में नियुक्ति निरस्त की जावेगी।
- स्वयं के व्यय पर स्वशासी संस्था द्वारा गठित मैडिकल बोर्ड से मैडिकल बोर्ड से फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त कर उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी. 3-13/2019/3/एक भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2019 के अनुसार नियमित पद पर 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जावेगा। परिवीक्षा अवधि में पद के वेतनमान के व्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि, स्टायरपेंड के रूप में देय होगी।
- आपकी सेवायें किसी भी समय एक पक्ष द्वारा 01 माह का नोटिस देकर या उसके एवज में 01 माह का अग्रिम वेतन तथा भत्ता देकर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह तक का नोटिस देकर या पूर्वानुमति उपरांत 01 माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अंतर्गत 01 माह के वेतन तथा भत्ते के बराबर की राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व के बकाया कि भाँति वसूली योग्य होगी।
- इस नियुक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा महिला के पदों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है।
- नियुक्त व्यक्ति म0प्र0 सिविल सेवा आचरण नियम 1965 एवं म.प्र. स्वशासी विकित्सा महाविद्यालय गैर-शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम, 2018” के अधीन शासित होंगे।
- संबंधित का कार्य एवं व्यवहार उचित न पाये जाने पर तथा हड़ताल आदि में भाग लेने पर सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।

WV



10. नियुक्त व्यक्ति को रु. 50/- के स्टाम्प में उपस्थित प्रतिवेदन के साथ हरा आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि मेरे द्वारा वी गई जानकारी सही है यदि जानकारी गलत पाई जाती है तो पूर्ण जवाबदारी स्वयं की होगी।
11. चयनित प्रत्याशी की नियुक्ति पुलिस वेरीफिकेशन की प्रत्याशा में की जाती है, यदि भविष्य में पुलिस वेरीफिकेशन के पश्चात् प्रतिकूल तथ्य प्राप्त होने पर सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
12. आपकी नियुक्ति इस संस्था की सेवा शर्तों के अधीन है। संस्था अपनी सेवा शर्तों में आंशिक सुधार एवं परिवर्तन कर सकती है तथा आपकी सेवायें संस्था की किसी भी विभाग में ली जा सकती है।
13. पूर्व से अन्यत्र शासकीय/अर्धशासकीय संस्थान में सेवारत नियुक्त व्यक्ति को उपस्थिति के समय-पूर्व नियोक्ता द्वारा स्वीकृति त्याग पत्र अथवा सेवारत न होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
14. नियुक्त उम्मीदवारों को परिवीक्षा अवधि में अन्यत्र आवेदन करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र देय नहीं होगा।
15. किसी भी राजनैतिक एवं विवादित गतिविधि में भाग नहीं लेंगे, यदि यह पाया जाता है कि आप किसी विवादित अथवा किसी भी अवधित गतिविधि में लिप्त हैं तब अधिष्ठाता को आपकी नियुक्ति निरस्त करने का अधिकार होगा। जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगें।
16. सक्षम अधिकारी के पूर्व स्वीकृति के बिना आप अवकाश पर नहीं जा सकेंगे।
17. म.प्र. शासन गृह विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3597/2009/दो/सी-1 दिनांक 26.12.2010 द्वारा प्रदेश के सभी अस्पतालों तथा प्रदेश के सभी स्तरों के समस्त शासकीय चिकित्सालयों/औषधालयों/स्वास्थ्य केन्द्रों/स्वास्थ्य शिक्षा संस्थानों से संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं को अत्यावश्यक घोषित किया गया है। अतः इनसे जुड़ा कोई भी अमला अपनी सेवायें देने से इंकार नहीं कर सकता। यदि कोई सेवक अत्यावश्यक सेवा को करने से इंकार करता है तो उसके विरुद्ध म0प्र0 अत्यावश्यक सेवा संधारण एवं विच्छिन्नता निवारण (एस्मा) अधिनियम 1979 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी।
18. चयनित अभ्यार्थियों को पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

**नोट :-** प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति में म0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछ़ा वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (संशोधन सहित) तथा महिलाओं के लिये आरक्षण प्रावधानों का पालन किया गया है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता  
बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय  
शहडोल (म.प्र.)

शहडोल, दिनांक ३१.०३.२०२४

पृ.क्रमांक/स्था.अराज/शा.चि.म.वि./2024/..!..934-1943

**प्रतिलिपि :-** की ओर वास्ते सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल म0प्र0।
2. आयुक्त चिकित्सा शिक्षा भोपाल म0प्र0।
3. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, सतपुड़ा भवन भोपाल म.प्र।
4. आयुक्त, शहडोल संभाग शहडोल एवं अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति, बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल म0प्र0।
5. कलेक्टर जिला शहडोल म.प्र।
6. महालेखाकर, ग्वालियर म.प्र।
7. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल म.प्र।
8. स्थानीय लेखा-शाखा, बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल म0प्र0।
9. संबंधित ..... की ओर भेज कर लेख है कि, कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व रु04/ ट्रेजरी चालान हेड- 0210-01-800 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा कर उसकी प्रति अपने उपस्थिति पत्रक के साथ प्रस्तुत करना होगा। सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता  
बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय  
शहडोल (म.प्र.)



## कार्यालय

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता

बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल (म.प्र.)

E-Mail:- [deanshahdola@gmail.com](mailto:deanshahdola@gmail.com)

Website:- [WWW.GMCSTHAHDOLA.GOV.IN](http://WWW.GMCSTHAHDOLA.GOV.IN)

क्रमांक/स्था.अराज/शा.चि.म.वि./2024/..।१९.२४

शहडोल, दिनांक १३/१२/२०२४

### !! आदेश !!

“मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल द्वारा समूह-4 के अंतर्गत सहायक ग्रेड-3, स्टेनोटाइपिस्ट, शीघ्रलेखक व अन्य पदों की सीधी भर्ती व सीधी भर्ती-बैकलॉग हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा- 2023 के पत्र क्रमांक/०२/७२/२०२२/०८/प-२/१०५१/२०२४, भोपाल दिनांक २७.०२.२०२४ द्वारा प्राप्त मेरिट सूची के आधार पर की गई स्कूटनी पश्चात विभागीय स्कूटनी समिति की अनुशंसा अनुसार निम्नलिखित उम्मीदवार का चयन स्टेनोटाइपिस्ट के रिक्त पद के विलङ्घ वेतनमान रूपये-५२००-२०२००+१९०० के तत्स्थानी पुनरीक्षित सातवें वेतन के लेवल-4 में व्यूनतम वेतन रूपये-१९५००/- प्रतिमाह तथा शासन द्वारा समय-समय पर देय महंगाई भत्ते के साथ एवं निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थाई नियुक्ति प्रदान कर बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल (म.प्र.) में पदस्थ किया जाता है:-

#### पद का नाम-स्टेनोटाइपिस्ट (सीधी भर्ती)

स.क्र.	उम्मीदवार का नाम एवं पिता/पति का नाम	पता	चयनित श्रेणी (संवर्गी)
1.	आदित्य परमार पिता- श्री अभिनेन्द्र सिंह परमार	हाउस नं. बी७, सूर्या कॉलोनी, देरी रोड, छतरपुर (म.प्र.)	अनारक्षित वर्ग (ओपन)

#### नियुक्ति की शर्तेः-

- आदेश जारी होने के दिनांक से ०७ दिवस के अंदर मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल में स्वयं उपस्थित होकर प्रतिवेदन (कार्यभार ग्रहण) करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।
- उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ आवश्यक प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां एवं एक-एक छायाप्रति (स्वयं सत्यापित) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- नियुक्त व्यक्ति के संबंध में प्रस्तुत प्रमाण-पत्र या कोई भी अभिलेख असत्य पाये जाने की दशा में नियुक्ति निरस्त की जावेगी।
- स्वयं के व्यय पर स्वशासी संस्था द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल बोर्ड से फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त कर उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी. ३-१३/२०१९/३/एक भोपाल, दिनांक १२ दिसम्बर २०१९ के अनुसार नियमित पद पर ०३ वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जावेगा। परिवीक्षा अवधि में पद के वेतनमान के व्यूनतम का प्रथम वर्ष ७० प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में ८० प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में ९० प्रतिशत राशि, स्टायरेंड के रूप में देय होगी।
- आपकी सेवायें किसी भी समय एक पक्ष द्वारा ०१ माह का नोटिस देकर या उसके एवज में ०१ माह का अग्रिम वेतन तथा भत्ता देकर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह तक का नोटिस देकर या पूर्वानुमति उपरांत ०१ माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अंतर्गत ०१ माह के वेतन तथा भत्ते के बराबर की राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व के बकाया कि भाँति वसूली योग्य होगी।
- इस नियुक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा महिला के पदों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है।
- नियुक्त व्यक्ति म०प्र० सिविल सेवा आचरण नियम १९६५ एवं म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय गैर-शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम, २०१८” के अधीन शासित होंगे।
- संबंधित का कार्य एवं व्यवहार उचित न पाये जाने पर तथा हड्डाल आदि में भाग लेने पर सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।

- 10 नियुक्त व्यक्ति को रु. 50/- के स्टाम्प में उपस्थित प्रतियोगिता के साथ इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही है यदि जानकारी गलत पाई जाती है तो पूर्ण जवाबदारी स्वयं की होगी।
- 11 चयनित प्रत्याशी की नियुक्ति पुलिस वेरीफिकेशन की प्रत्याशा में की जाती है, यदि भविष्य में पुलिस वेरीफिकेशन के पश्चात् प्रतिकूल तथ्य प्राप्त होने पर सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
- 12 आपकी नियुक्ति इस संस्था की सेवा शर्तों के अधीन है। संस्था अपनी सेवा शर्तों में आंशिक सुधार एवं परिवर्तन कर सकती है तथा आपकी सेवायें संस्था की किसी भी विभाग में ली जा सकती है।
- 13 पूर्व से अन्यत्र शासकीय/अर्धशासकीय संस्थान में सेवारत नियुक्त व्यक्ति को उपस्थिति के समय-पूर्व नियोक्ता द्वारा स्वीकृति त्याग पत्र अथवा सेवारत न होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 14 नियुक्त उम्मीदवारों को परिवीक्षा अवधि में अन्यत्र आवेदन करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र देय नहीं होगा।
- 15 किसी भी राजनैतिक एवं विवादित गतिविधि में भाग नहीं लेंगे, यदि यह पाया जाता है कि आप किसी विवादित अथवा किसी भी अवधित गतिविधि में लिप्त हैं तब अधिष्ठाता को आपकी नियुक्ति निरस्त करने का अधिकार होगा। जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- 16 सक्षम अधिकारी के पूर्व स्वीकृति के बिना आप अवकाश पर नहीं जा सकेंगे।
- 17 म.प्र. शासन गृह विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3597/2009/दो/सी-1 दिनांक 26.12.2010 द्वारा प्रदेश के सभी अस्पतालों तथा प्रदेश के सभी स्तरों के समस्त शासकीय चिकित्सालयों/औषधालयों/स्वास्थ्य केन्द्रों/स्वास्थ्य शिक्षा संस्थानों से संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं को अत्यावश्यक घोषित किया गया है। अतः इनसे जुड़ा कोई भी अमला अपनी सेवायें देने से इंकार नहीं कर सकता। यदि कोई सेवक अत्यावश्यक सेवा को करने से इंकार करता है तो उसके विरुद्ध म0प्र0 अत्यावश्यक सेवा संधारण एवं विच्छिन्नता निवारण (एस्मा) अधिनियम 1979 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी।
- 18 चयनित अभ्यार्थियों को पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- बोट :- प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति में म0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (संशोधन सहित) तथा महिलाओं के लिये आरक्षण प्रावधानों का पालन किया गया है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता  
बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय  
शहडोल (म.प्र.)  
शहडोल, दिनांक 13.12.2024

पृ.क्रमांक/स्था.अराज/शा.चि.म.वि./2024/...1924-1933

प्रतिलिपि :- की ओर वास्ते सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

- 1 अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल म0प्र0।
- 2 आयुक्त चिकित्सा शिक्षा भोपाल म0प्र0।
- 3 संचालक, चिकित्सा शिक्षा, सतपुड़ा भवन भोपाल म.प्र।
- 4 आयुक्त, शहडोल संभाग शहडोल एवं अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति, बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल म0प्र0।
- 5 कलेक्टर जिला शहडोल म.प्र।
- 6 महालेखाकर, गवालियर म.प्र।
- 7 संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल म.प्र।
- 8 स्थानीय लेखा-शाखा, बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल म0प्र0।
- 9 संबंधित ..... की ओर भेज कर लेख है कि, कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व रु04/ ट्रेजरी चालान हेड- 0210-01-800 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा कर उसकी प्रति अपने उपस्थिति पत्रक के साथ प्रस्तुत करना होगा। सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता  
बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय  
शहडोल (म.प्र.)



कार्यालय

## मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता

बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल (म.प्र.)

**E-Mail:-** deanshahdola@gmail.com

**Website:-** WWW.GMCSHAHDOL.ORG

कमांक/स्था.अराज/शा.चि.म.वि./2024/..1904

શહડોલ, દિનાંક ૧૩./૦૩/૨૦૨૪

!! आदेश !!

“मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल द्वारा समूह-4 के अंतर्गत सहायक ग्रेड-3, स्टेनोटायपिस्ट, शीघ्रलेखक व अन्य पदों की सीधी भर्ती व सीधी भर्ती-बैकलॉग हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा- 2023 के पत्र क्रमांक/02/72/2022/08/P-2/1051/2024, भोपाल दिनांक 27.02.2024 द्वारा प्राप्त मेरिट सूची के आधार पर की गई स्कूटनी पश्चात विभागीय स्कूटनी समिति की अनुशंसा अनुसार निम्नलिखित उम्मीदवार का चयन डाक्यूमेन्टलिस्ट के रिक्त पद के विलङ्घ वेतनमान रूपये-5200-20200+1900 के तत्स्थानी पुनरीक्षित सातवें वेतन के लेवल-4 में व्यूनतम वेतन रूपये-19500/- प्रतिमाह तथा शासन द्वारा समय-समय पर देय महांगाई भत्ते के साथ एवं निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थाई नियुक्ति प्रदान कर बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल (म.प्र.) में पदस्थ किया जाता है:-

पद का नाम-डाक्यूमेंटलिस्ट (सीधी भर्ती)			
संख्या	उम्मीदवार का नाम एवं पिता/पति का नाम	पता	चयनित श्रेणी (संबंध)
1.	राममणि तिवारी पिता- श्री प्रकाश नाथ तिवारी	वार्ड नं. 05, सोहागपुर, गढ़ी के पास जिला-शहडोल (म.प्र.)	अनारक्षित वर्ग (ओपन)

### **जियवित की शर्तेः-**

- 1 आदेश जारी होने के दिनांक से 07 दिवस के अंदर मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता विरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल में स्वयं उपस्थित होकर प्रतिवेदन (कार्यभार ग्रहण) करना अनिवार्य होगा अव्यथा नियुक्त आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।
  - 2 उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ आवश्यक प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां एवं एक-एक छायाप्रति (स्वयं सत्यापित) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
  - 3 नियुक्त व्यक्ति के संबंध में प्रस्तुत प्रमाण-पत्र या कोई भी अभिलेख असत्य पाये जाने की दशा में नियुक्ति निरस्त की जावेगी।
  - 4 स्वयं के व्यय पर स्वशासी संस्था द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल बोर्ड से फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त कर उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
  - 5 म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी. 3-13/2019/3/एक भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2019 के अनुसार नियमित पद पर 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जावेगा। परिवीक्षा अवधि में पद के वेतनमान के व्यूनितम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि, स्टायर्पैड के रूप में देय होगी।
  - 6 आपकी सेवायें किसी भी समय एक पक्ष द्वारा 01 माह का नोटिस देकर या उसके एवज में 01 माह का अग्रिम वेतन तथा भत्ता देकर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह तक का नोटिस देकर या पूर्वानुमति उपरांत 01 माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अंतर्गत 01 माह के वेतन तथा भत्ते के बराबर की राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व के बकाया कि भाँति वसूली योग्य होगी।
  - 7 इस नियुक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अव्य पिछ़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग तथा महिला के पदों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है।
  - 8 नियुक्त व्यक्ति म0प्र0 सिविल सेवा आचरण नियम 1965 एवं म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय गैर-शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम, 2018” के अधीन शासित होंगे।
  - 9 संबंधित का कार्य एवं व्यवहार उचित न पाये जाने पर तथा हड़ताल आदि में भाग लेने पर सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।

- 10 नियुक्त व्यक्ति को रु. 50/- के स्थान पर उपस्थित प्रतिवेदन के साथ इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही है यदि जानकारी गलत पाई जाती है तो पूर्ण जवाबदारी स्वयं की होगी।
- 11 चयनित प्रत्याशी की नियुक्ति पुलिस वेरीफिकेशन की प्रत्याशा में की जाती है, यदि भविष्य में पुलिस वेरीफिकेशन के पश्चात् प्रतिकूल तथ्य प्राप्त होने पर सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
- 12 आपकी नियुक्ति इस संस्था की सेवा शर्तों के अधीन है। संस्था अपनी सेवा शर्तों में आंशिक सुधार एवं परिवर्तन कर सकती है तथा आपकी सेवायें संस्था की किसी भी विभाग में ली जा सकती है।
- 13 पूर्व से अन्यत्र शासकीय/अर्धशासकीय संस्थान में सेवारत नियुक्त व्यक्ति को उपस्थिति के समय-पूर्व नियोक्ता द्वारा स्वीकृति त्याग पत्र अथवा सेवारत न होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 14 नियुक्त उम्मीदवारों को परिवीक्षा अवधि में अन्यत्र आवेदन करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र देय नहीं होगा।
- 15 किसी भी राजनैतिक एवं विवादित गतिविधि में भाग नहीं लेंगे, यदि यह पाया जाता है कि आप किसी विवादित अथवा किसी भी अवधित गतिविधि में लिप्त हैं तब अधिष्ठाता को आपकी नियुक्ति निरस्त करने का अधिकार होगा। जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- 16 सक्षम अधिकारी के पूर्व स्वीकृति के बिना आप अवकाश पर नहीं जा सकेंगे।
- 17 म.प्र. शासन गृह विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3597/2009/दो/सी-1 दिनांक 26.12.2010 द्वारा प्रदेश के सभी अस्पतालों तथा प्रदेश के सभी स्कूलों के समस्त शासकीय चिकित्सालयों/औषधालयों/स्वास्थ्य केन्द्रों/स्वास्थ्य शिक्षा संस्थानों से संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं को अत्यावश्यक घोषित किया गया है। अतः इनसे जुड़ा कोई भी अमला अपनी सेवायें देने से इंकार नहीं कर सकता। यदि कोई सेवक अत्यावश्यक सेवा को करने से इंकार करता है तो उसके विरुद्ध म0प्र0 अत्यावश्यक सेवा संधारण एवं विच्छिन्नता निवारण (एस्मा) अधिनियम 1979 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी।
- 18 चयनित अभ्यार्थियों को पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

पृ.क्रमांक/स्था.अराज/शा.चि.म.वि./2024/..।१०५-१९३

प्रतिलिपि :- की ओर वास्ते सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

- 1 अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल म0प्र0।
- 2 आयुक्त चिकित्सा शिक्षा भोपाल म0प्र0।
- 3 संचालक, चिकित्सा शिक्षा, सतपुड़ा भवन भोपाल म.प्र।
- 4 आयुक्त, शहडोल संभाग शहडोल एवं अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति, बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल म0प्र0।
- 5 कलेक्टर जिला शहडोल म.प्र।
- 6 महालेखाकर, ग्वालियर म.प्र।
- 7 संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल म.प्र।
- 8 स्थानीय लेखा-शाखा, बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल म0प्र0।
- 9 संबंधित ..... की ओर भेज कर लेख है कि, कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व रु04/ ट्रेजरी चालान हेड- 0210-01-800 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा कर उसकी प्रति अपने उपस्थिति पत्रक के साथ प्रस्तुत करना होगा। सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

W

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता  
बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय  
शहडोल (म.प्र.)



# कार्यालय

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता

बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल (म.प्र.)

E-Mail:- [deanshahdola@gmail.com](mailto:deanshahdola@gmail.com)

Website:- [WWW.GMCSESHAHDOLE.ORG](http://WWW.GMCSESHAHDOLE.ORG)

क्रमांक/स्था.अराज/शा.चि.म.वि./2024/..1914

शहडोल, दिनांक १३./०३/२०२४

## !! आदेश !!

“मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल द्वारा समूह-4 के अंतर्गत सहायक ग्रेड-3, स्टेनोटायपिस्ट, शीघ्रलेखक व अन्य पदों की सीधी भर्ती व सीधी भर्ती-बैकलॉग हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा- 2023 के पत्र क्रमांक/02/72/2022/08/प-2/1051/2024, भोपाल दिनांक 27.02.2024 द्वारा प्राप्त मेरिट सूची के आधार पर की गई स्फूटनी पश्चात विभागीय स्फूटनी समिति की अनुशंसा अनुसार निम्नलिखित उम्मीदवार का चयन रिकार्ड बुल्क के रिक्त पद के विरुद्ध वेतनमान रूपये-5200-20200+1900 के तत्स्थानी पुनरीक्षित सातवें वेतन के लेवल-4 में व्यूनतम वेतन रूपये-19500/- प्रतिमाह तथा शासन द्वारा समय-समय पर देय महंगाई भत्ते के साथ एवं निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थाई नियुक्ति प्रदान कर बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल (म.प्र.) में पदस्थ किया जाता है:-

### पद का नाम-रिकार्ड बुल्क (सीधी भर्ती)

स.क्र.	उम्मीदवार का नाम एवं पिता/पति का नाम	पता	चयनित श्रेणी (संबंधी)
1.	सुचित शर्मा पिता- श्री एस.एन. शर्मा	36 एन.पी., भगत सिंह वार्ड नं. 09 तहसील व जिला-अनूपपुर (म.प्र.)	अनारक्षित वर्ग (ओपन)

#### नियुक्ति की शर्तेः-

- 1 आदेश जारी होने के दिनांक से 07 दिवस के अंदर मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल में स्वयं उपस्थित होकर प्रतिवेदन (कार्यभार ग्रहण) करना अनिवार्य होगा।
- 2 उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ आवश्यक प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां एवं एक-एक छायाप्रति (स्वयं सत्यापित) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 3 नियुक्त व्यक्ति के संबंध में प्रस्तुत प्रमाण-पत्र या कोई भी अभिलेख असत्य पाये जाने की दशा में नियुक्ति निरस्त की जावेगी।
- 4 स्वयं के व्यय पर स्वशासी संस्था द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल बोर्ड से फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त कर उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 5 म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी. 3-13/2019/3/एक भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2019 के अनुसार नियमित पद पर 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जावेगा। परिवीक्षा अवधि में पद के वेतनमान के व्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि, स्टायरेंड के रूप में देय होगी।
- 6 आपकी सेवायें किसी भी समय एक पक्ष द्वारा 01 माह का नोटिस देकर या उसके एवज में 01 माह का अग्रिम वेतन तथा भत्ता देकर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह तक का नोटिस देकर या पूर्वानुमति उपरांत 01 माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अंतर्गत 01 माह के वेतन तथा भत्ते के बराबर की राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व के बकाया कि भांति वसूली योग्य होगी।
- 7 इस नियुक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग तथा महिला के पदों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है।
- 8 नियुक्त व्यक्ति म0प्र0 सिविल सेवा आचरण नियम 1965 एवं म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय गैर-शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम, 2018” के अधीन शासित होंगे।
- 9 संबंधित का कार्य एवं व्यवहार उचित न पाये जाने पर तथा हड़ताल आदि में भाग लेने पर सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता  
बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय  
शहडोल (म.प्र.)

प.कमांक/स्था.अराज/शा.चि.म.वि./2024/1914-1923

शहडोल, दिनांक 13/13/2024

**प्रतिलिपि :-** की ओर वास्ते सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

- 1 अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल म0प्र0।
  - 2 आयुक्त चिकित्सा शिक्षा भोपाल म0प्र0।
  - 3 संचालक, चिकित्सा शिक्षा, सतपुड़ा भवन भोपाल म.प्र।
  - 4 आयुक्त, शहडोल संभाग शहडोल एंव अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति, बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल म0प्र0।
  - 5 कलेक्टर जिला शहडोल म.प्र।
  - 6 महालेखाकर, घ्वालियर म.प्र।
  - 7 संयुक्त संचालक एंव अधीक्षक बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल म.प्र।
  - 8 स्थानीय लेखा-शाखा, बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल म0प्र0।
  - 9 संवंधित ..... की ओर भेज कर लेख है कि, कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व ००४१ ट्रेजरी चालान हेड- 0210-01-800 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा कर उसकी प्रति अपने उपस्थिति पत्रक के साथ प्रस्तुत करना होगा। सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता  
बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय  
शहडोल (ग.प्र.)